

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना 18/2022 केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

का.आ.(अ) केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 2022 (2022 का 6) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्टूबर, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 110 के खंड (ग) और धारा 111 को छोड़कर, धारा 100 से 114 के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

[फा.स.सीबीआईसी-20013/1/2022-जीएसटी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार